संख्या-4/65/74-2014-23(ब)/2012

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 11 फरवरी, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की योजना-06-टसर रेशम विकास की योजना के मद संख्या-26-मशीने और सज्जा / उपकरण और संयत्र" हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-752/सेरी0/लेखा0/उप0क्रय0पत्रा0/2013-14, दिनांक 08 जनवरी, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में आयोजनेत्तर पक्ष की संगत योजनान्तर्गत मद संख्या-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 200 हजार (रूपये दो लाख मात्र) के सापेक्ष अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन एवं प्रशासन-आयोजनेत्तर-06-टसर रेशम विकास की योजना के अन्तर्गत मद संख्या-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत रू0 1,99,988.00(रूपये एक लाख निन्यानबे हजार नौ सौ अट्ठासी मात्र) अर्थात पूर्णांक में रू0 200 हजार (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) निदेशक रेशम विकास विभाग उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत क्रय शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/प्रक्रिया का पालन किया जायेगा ।

(2) क्रय की जा रही मशीनों/उपकरणों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब क्रय की जा रही वस्तु की आपूर्ति निर्धारित मानक व विशिष्टियों के अनुरूप हो ।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी नहीं होगी तथा क्रय के लिए पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है ।

(4) क्रय की जा रही वस्तु की गुणवत्तायुक्त आपूर्ति के बाद आपूर्तिकर्ता के पक्ष में एकाउन्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफट अथवा शासन के प्रचलित आदेशों से भुगतान किया जायेगा तथा किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक या पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा ।

(5) स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा इंगित मशीन/उपकरण क्रय करने के बाद अवशेष बची धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी ।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय के लिए आवश्यकता का सम्यक पूर्वानुमान कर लिया गया है तथा आवश्यकता से अधिक परिमाण में क्रय नहीं किया जायेगा ।

(7) उपर्युक्त शर्तो एवं नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व निदेशक रेशम विकास विभाग, उ0प्र0 का होगा । -2-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-06 टसर रेशम विकास की योजना के सुसंगत मानक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-85/दस-2014 दिनांक 07 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
6- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग ।
8- नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in